<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।</u>

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.) दर्ज दिनांकः 19.02.2025
जी.सी.एम.एस.नं.– 2025/56
मुकदमा संख्याः– 26/2025 निर्णय दिनांकः– 22/04/2025

1. नन्दलाल कुमावत पुत्र बंशीलाल कुमावत निवासी वार्ड नं. 3 कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
2. राजूराम पुत्र भोजाराम जाति कुमावत निवासी वार्ड नं. 5 ओलखा की ढाणी ग्राम इन्द्रपुरा तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
3. सोनाराम कुमावत पुत्र भोलाराम जाति कुमावत निवासी अग्रसेन भवन के पास कस्बा उदयपुरवाटी तह. उदयपुरवाटी

........वादीगण

<u>बनाम</u>

1. संजया देवी पुत्री बंशीलाल कुमावत पत्नि मुरलीधर निवासी ग्राम चला तह. नीम का थाना जिला सीकर
2. विमला पुत्री बंशीलाल कुमावत पत्नि किशोरकुमार ग्राम पचलंगी तह. उदयपुरवाटी
3. आंची पुत्री बंशीलाल कुमावत पत्नि जीवणराम ग्राम चला तह. नीम का थाना
4. पांची देवी पुत्री बंशीलाल पत्नि कैलाश निवासी मण्डावरा तह. उदयपुरवाटी
5. पार्वती पुत्री भोलाराम पत्नि रामवतार निवासी ग्राम चला तह. नीम का थाना
6. भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी

...प्रतिवादीगण

<u>विद्वान अधिवक्ता वादीगणः– श्री शिशपाल सैनी</u>
<u>विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– राजेन्द्र सैनी</u>

<u>दावा घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती</u>

<u>निर्णय दिनांकः–22/04/2025</u>

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम उदयपुरवाटी के वर्तमान खाता सं. 190 के भूमि ख.नं. 399 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि अवस्थित है जिसके पुराने ख.नं. 321 है। उक्त वर्णित भूमि ख.नं. 399 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड सम्वत 2016 से 2031 में छोटू पुत्र मुन्ना के नाम जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के दादा छोटू पुत्र मुन्ना के फौत हाने पर विरासतन नामान्तरण सं. 546 दर्ज किया है जिसके अनुसार गोरली पत्नि छोटू तथा भोलू बंशी पुत्रगण छोटू जाति कुम्हार के नाम खातेदारी सम्वत 2018 से 2031 की जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज है। परन्तु बन्दोबस्त द्वितिय की कार्यवाही के पश्चात् जमाबन्दी आधार वर्ष सम्वत 2046 के राजस्व रिकार्ड में मु. गोरली बेवा भोलू बंशी, प्रभात, छोटू कौम कुम्हार के नाम गलत रिकार्ड कायम किया है जो गलत है। आगे चलकर उक्त भूमि ख.नं. 399 का राजस्व रिकार्ड सम्वत 2054 से 2073

तक इसी प्रकार दर्ज है। भूमि ख.नं. 399 का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2075 से 2078 में सैग्रेसन जमाबन्दी ऑन लाईन करते समय अन्य खातेदारों का नाम हजफ कर केवल गोरली पत्नी भोलू के नाम खातेदारी दर्ज की है जो गलत है। क्योंकि गोरली पत्नि छोटू व छोटू पुत्र मुन्ना के अन्य पुत्रों का नाम राजस्व रिकार्ड से वंचित किया जाकर गलत राजस्व रिकार्ड कायम किया है जो गलत है। भूमि ख.नं. 399 रकबा 0.44 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 की पैत्रिक भूमि है उक्त वर्णित भूमि में पैत्रिक हिस्सेनुसार वादी सं. 1 का हिस्सा 1/10, तथा वादी सं. 2 व 3 का हिस्सा 1/3, तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का हिस्सा 4/10 व प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 1/6 है इसी हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड कायम किया जाना कानूनन उचित है वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 को उपरोक्त हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अन्त में निवेदन किया है कि कस्बा उदयपुरवाटी के वर्तमान भूमि ख.नं. 399 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करते हुए वादी सं. 1 का हिस्सा 1/10, तथा वादी सं. 2 व 3 का हिस्सा 1/3, तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का हिस्सा 4/10 व प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

वाद पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 5 जरिये अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सैनी उपस्थित न्यायालय आये व इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादीगण का इकबालिया जवाब होने से पत्रावली पर तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी सं. 1 व 3 की ओर से साक्ष्य के शपथ-पत्र पेश किया गये।

बहस दावा पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम उदयपुरवाटी के वर्तमान खाता सं. 190 के भूमि ख.नं. 399 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि अवस्थित है जिसके पुराने ख.नं. 321 है। उक्त वर्णित भूमि ख.नं. 399 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड सम्वत 2016 से 2031 में छोटू पुत्र मुन्ना के नाम जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के दादा छोटू पुत्र मुन्ना के फौत हाने पर विरासतन नामान्तरण सं. 546 दर्ज किया है जिसके अनुसार गोरली पत्नि छोटू तथा भोलू बंशी पुत्रगण छोटू जाति कुम्हार के नाम खातेदारी सम्वत 2018 से 2031 की जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज है। परन्तु बन्दोबस्त द्वितिय की कार्यवाही के पश्चात् जमाबन्दी आधार वर्ष सम्वत 2046 के राजस्व रिकार्ड में मु. गोरली बेवा भोलू बंशी, प्रभात, छोटू कौम कुम्हार के नाम गलत रिकार्ड कायम किया है जो गलत है। आगे चलकर उक्त भूमि ख.नं. 399 का राजस्व रिकार्ड सम्वत 2054 से 2073 तक इसी प्रकार दर्ज है। भूमि ख.नं. 399 का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2075 से 2078 में सैग्रेसन जमाबन्दी ऑन लाईन करते समय अन्य खातेदारों का नाम हजफ कर केवल गोरली पत्नी भोलू के नाम खातेदारी दर्ज की है जो गलत है। क्योंकि गोरली पत्नि छोटू व छोटू पुत्र मुन्ना के अन्य पुत्रों का नाम राजस्व रिकार्ड से वंचित किया जाकर गलत राजस्व रिकार्ड कायम किया है जो गलत है। भूमि ख.नं. 399 रकबा 0.44 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 की पैत्रिक भूमि है उक्त वर्णित भूमि में पैत्रिक हिस्सेनुसार वादी सं. 1 का हिस्सा 1/10, तथा वादी सं. 2 व 3 का हिस्सा 1/3, तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का हिस्सा 4/10 व प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 1/6 है इसी हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड कायम किया जाना कानूनन उचित है वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 को उपरोक्त हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वकील प्रतिवादी ने वाद स्वीकार किये जाने पर उपस्थित न्यायालय होकर सहमति जाहिर की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुनाई गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात व वाद-पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त विवेचन से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

AnyScanner

—::आदेश::—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि कस्बा उदयपुरवाटी के वर्तमान भूमि ख.नं. 399 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करते हुए गोरली पत्नी स्व. भोलू बंशी प्रभात छोटू कौम कुम्हार का नाम विलोपित कर वादी सं. 1 को हिस्सा 1/10, तथा वादी सं. 2 व 3 को हिस्सा 1/3, तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को हिस्सा 4/10 व प्रतिवादी सं. 5 को हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 22/04/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी